जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 01.02.2021**

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 13,63,000/- रुपये का गबन करने वाला ओरियंटल बैंक आफ कामर्स का पूर्व प्रबंधक किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बैंक खातो से रुपये गबन करने वाला ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, भैसानी इस्लामपुर के पूर्व प्रबंधक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि 12.08.2018 को ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, शाखा भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन, जनपद शामली के मैनेजर श्री नागेन्द्र कुमार द्वारा बैंक के 09 विभिन्न खातेदारों के खातों से निवर्तमान बैंक मैनेजर अरविन्द सिंह द्वारा उमाशंकर सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी कनहारपुर, डाक बंगला रोड जनपद जौनपुर व सुरेन्द्र कल्याणी पुत्र राजेन्द्र कल्याणी निवासी कस्बा व थाना थानाभवन, जनपद शामली के खातों में अवैध रूप से 13,63,000/- रुपये स्थानान्तरित कर गबन करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- अरविन्द सिंह पुत्र ऊमा शंकर निवासी 84 कनहाईपुर, डाक बंगला रोड, जनपद जोनपुर उ0प्र0 हाल निवासी वी0डी0ए0 कालोनी बड़ा लालपुर थाना शिवपुर वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3- का0 आशीष कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस एवं SOG टीम द्वारा ट्रांसफार्मर तार चोर गिरोह का 15000/- रूपये का इनामी शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, नकदी बरामद:-

दिनांक 31.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे इनामी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व मे थाना गढीपुख्ता पुलिस एवं SOG की टीम द्वारा सूचना पर संगम नहर पुल ग्राम गन्देवडा से ट्रांसफार्मर के तार चोरी करने वाले गैंग का 15000/- रूपये का इनामी शातिर अपराधी फुरकान पुत्र शौकत निवासी ग्राम लण्ढौरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को अवैध तमंचा मय 03 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 4,60,000/- रूपये की नकदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.10.2020 की देर रात्रि थाना थानाभवन क्षेत्र के ग्राम अम्बहेटा याकूबपुर बिजलीघर में बदमाशों द्वारा ट्रांसफार्मर के तार चोरी कर लिये गये थे। इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद दिनांक 20.10.2020 की देर रात्रि थाना गढीपुख्ता क्षेत्र के ग्राम दुल्लाखेड़ी बिजलीघर से ट्रांसफार्मर तार को चोरी कर लिया गया जिनके संबंध में श्री किशोर कुमार अवर अभियन्ता अम्बहेटा याकूबपुर बिजलीघर थानाभवन व श्री सौरव कुमार सक्सैना अवर अभियन्ता ग्राम दुल्लाखेड़ी बिजली घर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली की दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन व थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटनाओं के अनावरण के संबंध पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा घटनास्थलों का दौरा कर क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन, प्रभारी निरीक्षक थाना गढीपुख्ता, प्रभारी एसओजी एवं प्रभारी सर्विलांस की टीमों को लगाया गया। जिनके द्वारा लगातार प्रयास कर उक्त घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गयी। उक्त घटनाओं का अनावरण करते हुए गैंग के कुल 08 सदस्य को थानाभवन व गढीपुख्ता पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि फुरकान उपरोक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 15000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फुरकान पुत्र शौकत निवासी ग्राम लण्ढौरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. ट्रांसफार्मर तार चोरी के विक्रय से प्राप्त नकदी 4,60,000/- रूपये।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 264/2016 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 274/2016 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 141/2019 धारा 379,411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 213/2019 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 307,147,148,149 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 135/2020 धारा 342 भादवि व 136 विद्युत अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 171/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 298/2020 धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
8. मु0अ0सं0 350/2020 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2. प्रभारी SOG श्री महेश मिश्रा जनपद शामली।
3. उ0नि0 SOG श्री विरेन्द्र कसाना जनपद शामली।
4. हे0का0 SOG दुर्वेश डवास जनपद शामली।
5. हे0का0 SOG अशोक खारी जनपद शामली।
6. हे0का0 नितेन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

7. का0 SOG मोहित कुमार जनपद शामली।
8. का0 SOG अंशुल जनपद शामली।
9. का0 SOG नितिन मलिक जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 07 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद।

दिनांक 31.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा चलाये जा रहे मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर हिमाचल ढाबा अहमदगढ से 01 मादक पदार्थ तस्कर को 07 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- नफीस पुत्र जीजू निवासी बड़ा कुंडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त -

1- मु0अ0सं0 717/19 धारा 8/15 NDPS ACT थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1- अवैध डोडा पोस्त 07 किलो 600 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सोमप्रकाश थाना झिंझाना जनपद शामली।
2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3- का0 दुष्यन्त थाना झिंझाना जनपद शामली।
4- का0 अंकुर निर्वाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अवैध खनन में वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार:-</u>

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.02.2021 को गाड़ी वाला चैराहा से सूचना पर अभियुक्त अरशद पुत्र सजावल निवासी लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना के मु0अ0सं0 50/21 धारा 4/21 खनन अधिनियम, 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ती नुक्सान निवारण अधिनियम व 420 भा0द0वि0 में वांछित चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।